उपलब्ध
ते मरीज़
डॉक्टर
भी इस

पालीवाल
कंपनी सचिव
प्रा. लिमिटेड

ई-प्रोक्युरमेंट संदर्भ आईडी- 2017_DJB_142202_1
जनसंपर्क अधिकारी(जल) द्वारा जारी
विज्ञापन सं. ज.सं.वि. 405/2017-18
ह0/-
ईई (ई एंड एम) एचपी-II

पू.सी. रेलवे, मालीगांव
"भारतीय रेल के स्वर्णिम कायाकल्प में भागीदार बनें"

E-mail to all Institutes
हिन्दुस्तान
21.12.2017

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070

फोन : 011-29581000, वेबसाइट : www.aicte-india.org

अनुमोदन प्रक्रिया 2018-19 हेतु सार्वजनिक सूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा **शैक्षणिक सत्र 2018–2019** हेतु प्रबंधन पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित सभी **तकनीकी** संस्थाओं से निम्नानुसार अनुमोदन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :

(क) डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर पर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/भेषजी/वास्तुकला/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/होटल प्रबंधन एवं खान पान प्रोद्यौगिकी/प्रबंधन/एमसीए में तकनीकी कार्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेतु" आवेदन"।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक, पिछले शैक्षणिक वर्ष में वास्तुकला परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थाएं/एमसीए/एमबीए चलाने वाली गैर–तकनीकी संस्थाएं नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन करेंगी।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पास किये गए आदेश सीए संख्या 17869–17870/2017 दिनांक 03.11.2017 के अनुपालन में) नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन करेंगी।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक विश्वविद्यालय विभाग/घटक (कन्स्टिचूअन्ट) महाविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन करेंगे।

(ख) इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/भेषजी/वास्तुकला/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/होटल प्रबंधन एवं खान–पान प्रोद्यौगिकी/प्रबंधन/एमसीए में डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली, विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यमान तकनीकी संस्थाओं द्वारा "स्थान/स्थिति में परिवर्तन/संस्था को बंद करना/महिला संस्था को सह–शिक्षण संस्था में तथा सह–शिक्षण संस्था को महिला संस्था में परिवर्तित करना/डिग्री स्तर को डिप्लोमा स्तर में तथा डिप्लोमा स्तर को डिग्री स्तर में परिवर्तित करना/अनुमोदन में विस्तार/पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में अनुमोदन पर लगी रोक के बाद अनुमोदन को नियमित करना/पूर्वावस्था की प्राप्ति (रेस्टरैशन)/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/अतिरिक्त पाठ्यक्रम (ओं)/एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम जोड़ना/डिग्री भेषजी संस्थाओं में डिप्लोमा तथा डिप्लोमा भेषजी संस्थाओं में डिग्री आरंभ करना/भेषजी (फार्मा)–डी पाठ्यक्रम आरंभ करना/पीजीडीएम पाठ्यक्रम चलाने वाली प्रबंधन संस्थाओं को एमबीए पाठ्यक्रम में परिवर्त्तित करना/द्वितीय पाली पाठ्यक्रम (ओं) को प्रथम पाली पाठ्यक्रम (ओं) में परिवर्तित करना/अंशकालिक पाठ्यक्रम (ओं) आरंभ करना/प्रबंधन में अध्येतावृत्ति कार्यक्रम का आरंभ/ओसीआई/पीआईओ/विदेशी राष्ट्रिक/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के पुत्र/पुत्रियों हेतु सीटें आरंभ करना/जारी रखना/पाठ्यक्रम (ओं) के नाम में परिवर्तन/प्रवेश क्षमता में कमी/कार्यक्रम (ओं) तथा/अथवा पाठ्यक्रम (ओं) को बंद करना/संस्था अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम में परिवर्तन/न्यास/सोसाईटी/कंपनी के नाम (विलयन (मर्जिंग) सहित) में परिवर्तन/ट्विनिंग/सहभागिता कार्यक्रमों को आरंभ करना/जारी रखना" हेतु आवेदन।

(ग) डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली विद्यमान तथा बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थाएँ जो राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ाचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत डिप्लोमा/डिग्री स्तर तक के व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम (ओं) आरंभ करने की इच्छुक हैं, से आवेदन।

(घ) **सत्र 2018–2019** के लिए उपरोक्त दिए गए सभी अनुमोदनों हेतु ऑनलाईन आवेदन जमा करने **01 जनवरी, 2018 से आरंभ** होंगे तथा **31 जनवरी, 2018 को बंद** होंगे। **केवल विद्यमान संस्थाओं को** अनुमोदन में विस्तार हेतु ऑनलाईन आवेदन जुर्माने सहित (अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2018–19 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार) जमा करने के लिए (अंतिम तिथि) **05 फरवरी, 2018** तक अनुमति दी जाएगी। यह नोट कर लिया जाए की किसी भी परिस्थिति में तिथि को दुबारा आगे नही बढ़ाया जाएगा।

(ड़) **सत्र 2018–2019** के लिए उपरोक्त दिए गए सभी अनुमोदनों हेतु **ऑनलाईन** भरे गए सभी आवेदनों पर प्रक्रमण **01 फरवरी, 2018 से आरंभ** होगा तथा **10 अप्रैल, 2018 को बंद** होगा।

सभी आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे **शैक्षणिक सत्र 2018–2019** के लिए अभातशिप के वेब–पोर्टल: **www.aicte-india.org** पर ऑनलाईन आवेदन करने से पहले अभातशिप अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (2018–19) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2016 तथा प्रथम संशोधन, 2017 का अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्पूर्णतः अध्ययन कर लें।

विज्ञापन संख्या : अनुमोदन/12(03)/2017 **सदस्य सचिव, अभातशिप**